

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08.2013

क्रमांक एफ 16-22/2013/बी-ग्यारह : ड्राईडेंट ग्रुप द्वारा बुदनी जिला सीहोर में स्थापित/
प्रस्तावित टेक्सटाईल इकाईयों को कम्पोजिट टेक्सटाईल परियोजना मान्य करते हुये सुविधाओं का लाभ
स्वीकृत करने संबंधी अन्धावेदन दिनांक 25.04.2013 के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय
लिया गया :-

"टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु पुनरीक्षित विशेष पैकेज, 2012" के अंतर्गत कम्पोजिट टेक्सटाईल
परियोजनाओं की परिभाषा में इस आशय का नीतिगत संशोधन किया जावे कि किसी औद्योगिक ग्रुप की
विभिन्न कम्पनियों द्वारा एक ही परिसर में स्थापित की जा रही टेक्सटाईल इकाईयों में प्रवर्तक का ग्रुप
कम्पनियों की प्रत्येक संबंधित कम्पनी में बहुसंख्यक नियंत्रण भागीदारी (Majority Stake Holding) कम
से कम 51 प्रतिशत हो तो ऐसी कम्पनियों द्वारा स्थापित इकाईयों को कम्पोजिट टेक्सटाईल परियोजना
मान्य कर संदर्भित निवेश को 'टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु पुनरीक्षित विशेष पैकेज, 2012' के अंतर्गत
सुविधा दी जावे। नीतिगत संशोधन पश्चात, ड्राईडेंट ग्रुप एवं समान प्रकार की अन्य टेक्सटाईल
परियोजनाओं को पुनरीक्षित विशेष पैकेज अन्तर्गत पात्रतानुसार लाभ दिया जावे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 08.08.2013

पृ. क्रमांक एफ 16-22/2013/बी-ग्यारह,
प्रतिलिपि:

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, सीहोर।
7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
8. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, ड्राईडेंट ग्रुप, संघेरा, पंजाब-148101
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग